रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)—73

REGISTERED No. D.(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24] नई दिल्ली, शनिवार, जून 13, 1981/ज्येष्ठ 23, 1903

No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 13, 1981/JYAISTHA 23, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II —खण्ड 3 —उप-खण्ड (i)
PART II —Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

कम्पनी कार्य विभाग

(कम्पनी विधि बोर्ड)

नई दिल्ली, 30 मई, 1981

सा०का० नि० 546—भारत सरकार, कम्पनी कार्य विभाग की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 443(ङ) तारीख 18 अक्तूबर, 1972 के साथ पठित, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 594 की उप-धारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (कम्पनी विधि-प्रशासन विभाग) की अधिसूचना सं० सा० नि० आ० 3216 तारीख 4 अक्तूबर, 1957 की, अधिसूचना (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिसूचना कहा गया गया है) में आंशिक उपान्तर करते हुये कम्पनी विधि बोर्ड एतद्द्वारा यह निदेश दिया है कि मैं० [illegible] लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'कम्पनी' कहा गया है) के मामले में जो एक विदेशी कम्पनी है उक्त धारा 594 की उप-धारा (1) के खंड (क) की अपेक्षाएं जैसी कि वे किसी विदेशी कम्पनी के अपने लागू होने के सम्बन्ध में अधिसूचना द्वारा उपान्तरित की गई हैं, निम्नलिखित अपवादों तथा उपान्तरों के अध्यधीन रहते हुये लागू होंगी, अर्थात् :—

यदि 31-3-1980 के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाबत कम्पनी भारत में समुचित कम्पनी रजिस्ट्रार को निम्नलिखित की तीन प्रतियां प्रस्तुत करें तो उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपबन्धों का पर्याप्त अनुपालन हुआ समझा जाएगा :—

(1) (1) अधिनियम की धारा 592 की उप-धारा (1) के खंड (ध) के अन्तर्गत भारत में आदेशिका तामील के लिए प्राधिकृत व्यक्ति

(2) भारत के शासप्राप्त लेखापाल, द्वारा प्रमाणित इसकी भारतीय शाखा की प्राप्तियों तथा अदायगियों का विवरण-पत्र

(2) ऊपर उप-पैरा (1) में वर्णित ढंग से प्रमाणित भारत में कम्पनी की परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का विवरण-पत्र

(3) ऊपर उप-पैरा (1) में वर्णित व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाण-पत्र कि कम्पनी ने 31-3-1980 के वर्ष की समाप्ति के मध्य भारत में कोई व्यापार नहीं किया।

(4) कम्पनी के निगमन के देश में प्रस्तुत की गई 31-3-1980 के वर्ष समाप्ति की वित्त लेखे की प्रति।

कम्पनी विधि बोर्ड के आदेश से।

[फा० सं० 14/3/81-सी०एल०-6]

वेद प्रकाश उप्पल, अवर सचिव

सत्यापित

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

"(5) For inspection of forged pipe fitings, the fees shall charged at the rate specified for forged and Cast flanges under clause (i) of sub-regulation (2) of regulation 395 C.

(6) For inspection of pipe fittings other than forged pipe fittings, the fees shall be charged as under—

	Rs.
(a) Upto and including 50 mm for 100 kg. of a fraction thereof	25
(b) Over 50 mm and up to and including 100 mm for 450 kg. or fraction thereof	125
(c) Over 100 mm for 900 kg. or a fraction thereof	225

(4) in regulation 395 C, for clause (i) of sub-regulation (2), the following clause shall be substituted; namely:—

"(i) For forged and cast flanges, the fees shall be charged as under:

	Rs.
(a) Upto and including 25 mm for a batch of 50 or part thereof	60
(b) Upto and including 25 mm for a batch of 100 or part thereof	110
(c) Over 25 mm upto and including 50 mm for a batch of 50 or a part thereof.	120
(d) Over 50 mm upto and including 100 for a batch of 25 or part thereof.	120
(e) Over 100 mm upto and including 250 mm for a batch of 10 or a part thereof.	130
(f) Over 250 mm for a batch of 5 or partthereof.	150

(5) After regulation 395 C, the following new regulation shall be inserted, namely:—

395 D Marking. (a) Carbon steel tubes or pipes which are both over 50 mm outside diameter or over 1000 mm in length shall be a marked legibly to show:—

(i) the identification symbol for the type of the Steel

(ii) the brand of the manufacture, and

(iii) whether seamless or electric resistance tubes or pipe

(b) In the case of Carbon steel tubes or pipes less than 50mm outside diameter or less than 1000 mm in length, the information specified in clause (a) of this regulation shall be marked on a tag securely attached to the bundle or box.

(c) For alloy steel tubes or pipes markings shall not be stamped on the body of the tubes or pipes. The information specified in clause (a) of this regulation shall be stamped on the end face of plain -end pipes or on the rims of flangs or on identification plates suitably attached to the pipes or tubes. Inspection or identification marks may be painted on the alloy steel tubes or pipes provided iron oxide base or titanimum base paints are used.

(d) Tubes or pipes conforming to a foreign standard or code, which have been accepted by the Board under regulation 3(2), markings shall be stamped in accordance with the provision of that standard or code, as the case may be."

[F. No. 6(1)/81-Boilers]

S.C. DEY, Secretary, Central Boilers Board

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1981

सा० का० नि० 551.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली में समूह 'ग' के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. उपायोजन :—ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 1 में उल्लिखित पदों पर लागू होंगे।

3. संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :—पदों की संख्या उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वहीं होंगे जैसा कि अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में निर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की विधि, आयुसीमा, अर्हतायें आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की विधि, आयुसीमा, अर्हतायें तथा अन्य बातें वहीं होंगी जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में निर्दिष्ट हैं।

5. अनर्हता :—कोई व्यक्ति

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है जिसका कि पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जो व्यक्ति एक पति/एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी के साथ विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है, सेवा में नियुक्त होने का पात्र नहीं है/होगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. छूट देने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि छूट देना आवश्यक या उचित है वहां वह संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से और लिखित कारणों के आधार पर आदेश द्वारा किसी श्रेणी या वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को इन नियमों के किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है।

7. व्यावृत्ति :—इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये जिन आरक्षणों और अन्य रियायतों की व्यवस्था करना अपेक्षित है, उन पर इन नियमों के किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सत्यापित

10-10-16

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

…s for the various posts in KSCH-red.

G.S.R No-554 (25)

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये उम्मीदवारों को स्थायी बनाने के बारे में विचार करने के लिये विभागीय पदोन्नति समिति 1. उप-प्रधानाचार्य—लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज नई दिल्ली —अध्यक्ष 2. बाल चिकित्सा के प्रोफेसर सदस्य 3. उप चिकित्सा अधीक्षक —सदस्य 4. मुख्य प्रशासन अधिकारी —सदस्य 5. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने के लिये एक सहयोजित अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
27. वरिष्ठ भेषजज्ञ	एक	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	425-15-500-दरो०-15-560-20-700 रुपये	प्रवरण	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष]	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति स्टोर कीपरों और भेषजज्ञों में से जो इस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों।	1. बाल चिकित्सा के प्रोफेसर—अध्यक्ष 2. फार्माकोलाजी विभाग के विभागाध्यक्ष—सदस्य 3. उप-चिकित्सा अधीक्षक —सदस्य 4. श्रम कल्याण अधिकारी —सदस्य 5. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने के लिये	लागू नहीं होता

G.S.R No. 554

(25)

1	2	3	4	5	6	7
27. Senior Pharmacist	One	General Central Service Group 'C' Non,Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700.	Non-Selection	Not applicable.	Not applicable

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	By Promotion	Promotion from Store-Keeper and Pharmacists with five years regular service in the grade.	(i) Professor of Paediatrics — Chairman (ii) Head of the Department of Pharmacology—Member (iii) Deputy Medical Superintendent—Member (iv) Labour Welfare Officer —Member (v) A coopted officer to represent scheduled castes or scheduled tribes—Member	Not Applicable.

1	2	3	4	5	6	7
28. Pharmacist	*Three	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 330-10-380-EB-12-500-15-560.	Not applicable	Between 20-30 years 'Relaxable for Government Servants upto 35 years.' Note : The crucial date for determining the age limit mentioned in column 6 of the recruitment rules will in each case be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than Andaman & Nicobar Islands and Laksh-Dweep). In respect of posts, the appointments to which are made through the employment exchanges the crucial date for determining the age limit will in each	1. Matriculation or its equivalent qualifications from a recognised Board with Diploma in Pharmacy. 2. Should be a registered pharmacist.

KALAWATI SARAN CHILDREN'S HOSPITAL
BANGLA SAHIB MARG, NEW DELHI-110001

Duties and Responsibilities of Sr. Pharmacist

1. He / She will be overall Administrative-in-charge of all pharmacists posted in the section / hospital.
2. Depending upon his posting, he / she will supervise the management of the Inventory, Manpower and other resources in his area of supervision.
3. She / he will help the officer in charge in physical verification, auditing and quality management of inventory.
4. She / he will assist the officer in charge in receiving and issuing inventory to various department and help in demand forecasting.
5. To keep the entire inventory under safe custody and store as per prescribed guidelines of temperature, humidity, cold chain etc. and management of material of store.
6. He / she will keep record of leave of subordinate officials of his section.
7. He / she will supervise the proper documentation of records in his section.
8. To suggest measure for continuing education for pharmacist.
9. To furnish the information as and when required regarding the RTIs, Parliament Questions and to other institutions / Authorities.
10. Provide practical training to trainee pharmacist and authenticates the satisfactory completion of training.
11. Performing extra duties as assigned by the Controlling Officers even on holidays.
12. To perform the managerial duties so that pilferage is prevented in his section and proper / timely distribution of drugs.
13. To compound and label accordingly various preparations, compounded and dispensed in the hospital according to the official literatures.
14. To place specific demand of drugs on behalf of various departments.
15. To actively participate and provide useful inputs in various hospital committees like Hospital formulary up gradation, antibiotic policy etc.

O.P NARANG
(Administrative Officer)
Officiating